भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 862
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

न्यूरोटेक्नोलॉजी का विकास

862. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चिली देश के संवैधानिक संशोधन के समरूप न्यूरोराइट्स को मान्यता देने और उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है, जो लोगों की शारीरिक और मानसिक सबलता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी विकास से संबंधित है;
(ख) क्या सरकार का देश में उपयुक्त न्यूरोएथिकल मानकों को विकसित करने के लिए न्यूरोटेक्नोलॉजी के तीव्र विकास और उक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले विविध संदर्भों पर कार्य करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) न्यूरोटेक्नोलॉजी के आचारों के संबंध में पहला वैश्विक ढांचा विकसित करने के लिए यूनेस्को की पहल के आलोक में न्यूरोटेक्नोलॉजी हेतु आचारगत मानक सुनिश्चित करने में सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में क्या भूमिका है;
(घ) क्या सरकार का व्यक्तियों की न्यूरोलॉजिकल गोपनीयता की रक्षा के लिए कोलोराडो के हाल के कानून और कैलिफोर्निया द्वारा इसी तरह के विधान पर किए गए विचार-विमर्श पर विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के नागरिकों की न्यूरोलॉजिकल गोपनीयता की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ङ) सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूरोटेक्नोलॉजी के मानवाधिकार संबंधी आयाम पर कार्य करने वाले अंतर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने हेतु कया कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारत में, वर्तमान में ऐसे कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं जो न्यूरोटेक्नोलॉजी के विकास के संदर्भ में न्यूरो अधिकारों की सुरक्षा से स्पष्ट रूप से संबंधित हों। हालाँकि, व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कतिपय सामान्य कानूनी और विनियामक अवसंरचनाएं हैं:

i. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 आईटी अधिनियम के तहत डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा प्रदान करता है। धारा 43क में यह अधिदेश है कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाली संस्थाएं इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

ii. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, प्रक्रिया और साझा करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है

iii. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और सहमति, स्वायत्तता और भेदभाव न करने पर जोर देता है।

इसके अलावा, आईसीएमआर गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल रिसर्च (2017) न्यूरोटेक्नोलॉजी सहित चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिक विचारों पर जोर देती है। आईसीएमआर ने बायोमेडिकल शोध और स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए नैतिक दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं। शोधकर्ताओं को सूचित सहमति सुनिश्चित करनी चाहिए और प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए।

******